धारा 9 : राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में पूर्तियां

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) जहां पूर्तिकार की अवस्थिति राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसे पूर्तिकार की अवस्थिति को; या

(ख) जहां पूर्ति का स्थान राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में है, वहां ऐसी पूर्ति के स्थान को,

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समझा जाएगा, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है।